शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 51 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 51 अंक – 5 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 26 – 02 फरवरी 2026 मूल्य पांच रूपये

केंद्रीय बजट हिमाचल के लिए निराशाजनक राजस्व घाटा अनुदान समाप्ति से बढ़ी वित्तीय चिंता

शिमला/शैल। केंद्रीय बजट 2026-27 को हिमाचल प्रदेश के लिए निराशाजनक और अन्यायपूर्ण बताते हुए मुख्यमंत्री

ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि यह बजट आम लोगों, मध्यम वर्ग, किसानों, बागवानों और विशेष रूप से पहाड़ी राज्यों की जरूरतों के प्रति केंद्र सरकार की असंवेदनशीलता को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि बजट में न तो बढ़ती महंगाई से जूझ रहे मध्यम वर्ग को राहत दी गई है और न ही हिमाचल जैसे राज्यों की संरचनात्मक चुनौतियों को समझा गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत राज्यों को दिए जाने वाले राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) को 16वें वित्त आयोग द्वारा समाप्त करना संघीय ढांचे पर सीधा प्रहार है। उन्होंने स्मरण कराया कि वर्ष 1952 से यह अनुदान राज्यों को दिया जाता रहा है और 15वें वित्त आयोग के दौरान हिमाचल प्रदेश को लगभग 37,000 करोड़ रुपये की सहायता मिली थी। इससे पहले भी अंतरिम व्यवस्था के तहत 11,431 करोड़ रुपये प्रदान किए गए थे। ऐसे में पहली बार आरडीजी को पूरी तरह समाप्त किया जाना गंभीर चिंता का विषय है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे और पहाड़ी राज्य की वित्तीय वास्तविकताएं मैदानी राज्यों से बिल्कुल भिन्न हैं। राज्य का 67 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र वन एवं पारिस्थितिक आवरण में आता है, जिससे राजस्व अर्जन की क्षमता सीमित होती है। पर्वतीय भूगोल के कारण प्रति व्यक्ति सेवा वितरण की लागत अधिक है। इसके अलावा, हाल के वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं से प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान उठाना पड़ा है। इन सभी तथ्यों की अनदेखी कर राजस्व घाटा अनुदान समाप्त करना राज्य की वित्तीय स्थिरता के लिए गंभीर खतरा पैदा करेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आरडीजी समाप्त होने से राज्य को आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं, विकास कार्यों और सामाजिक क्षेत्र में निवेश के लिए कठिन निर्णय लेने पड़ेंगे, जिससे कर्ज का बोझ भी बढ़ सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि विस्तृत ज्ञापनों और तकनीकी प्रस्तुतियों के बावजूद केंद्र सरकार और वित्त आयोग ने हिमाचल प्रदेश की वास्तविकताओं को नजरअंदाज किया, जिससे यह आशंका गहराती है कि कांग्रेस शासित राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है।

कृषि क्षेत्र पर बजट की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल जैसे पर्वतीय राज्य के लिए किए गए प्रावधान अपर्याप्त हैं। सेब उत्पादन, जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था में लगभग 5,000 करोड़ रुपये का योगदान देता है और हजारों परिवारों की आजीविका का आधार है, बजट में पूरी तरह उपेक्षित रहा। न तो बागवानी के लिए कोई विशेष पैकेज दिया गया और न ही विपणन, भंडारण या प्रसंस्करण के लिए कोई ठोस पहल की गई।

पर्यटन क्षेत्र को लेकर भी मुख्यमंत्री ने निराशा जताई। उन्होंने कहा कि पर्यटन हिमाचल की पहचान और रोजगार का प्रमुख स्रोत है, लेकिन बजट में इसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बौद्ध सर्किट की घोषणा स्वागत योग्य है, लेकिन विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्थलों वाले हिमाचल को इससे बाहर रखना भेदभाव को दर्शाता है। इसी तरह, भानुपल्ली-बिलासपुर और बद्दी-चंडीगढ़ जैसी महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं के लिए भी बजट में कोई आवंटन नहीं किया गया।

मुख्यमंत्री ने राज्यों की ऋण सीमा को तीन प्रतिशत से बढ़ाकर चार प्रतिशत करने की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि ब्याज-मुक्त ऋण की सीमा 1.5 लाख करोड़ रुपये पर ही सीमित रखना और उस पर कठोर शर्तें लागू करना हिमाचल जैसे राज्यों के लिए व्यावहारिक नहीं है। साथ ही, जीएसटी मुआवजा बंद होने से राज्य को हर वर्ष भारी राजस्व नुकसान हो रहा है, जिसकी भरपाई

शेष पृष्ठ 8 पर.........

अपनी नाकामियों का ठीकरा केंद्र पर फोड़ना बंद करें:जयराम

शिमला/शैल। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष

जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अपनी नाकामियों का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ना बंद करें। चुनावी समय में दी गई झूठी गारंटियों को पूरा करना केंद्र का काम नहीं है। केंद्र सरकार विकसित भारत-2047 के लक्ष्य के तहत पूरे देश के लिए समान और दीर्घकालिक नीतियां बना रही है।

जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए मनरेगा के स्थान पर नई योजना 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)' लागू की गई है, जिसके लिए 95,692 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही मनरेगा के लंबित कार्यों के लिए 30,000 करोड़ रुपये अलग से रखे गये हैं। इसके बावजूद हिमाचल में 1.71 लाख से अधिक कार्य अधूरे पड़े हैं और 655 पंचायतों में एक दिन का भी रोजगार नहीं मिला, जो सुक्खू सरकार की नालायकी को उजागर करता है।

उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र प्रायोजित करीब 191 योजनाओं में राज्य को केवल 10 प्रतिशत हिस्सेदारी देनी होती है, लेकिन सुक्खू सरकार वह भी समय पर नहीं दे पा रही है। परिणामस्वरूप योजनाएं अटक रही हैं और इसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है।

जयराम ठाकुर ने कहा कि नई योजना में 125 दिन के रोजगार और साप्ताहिक भुगतान जैसी सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन केंद्र को कोसने के बजाय मुख्यमंत्री को लंबित कार्यों और राज्य की वित्तीय जिम्मेदारियों पर ध्यान देना चाहिए।

राज्यपाल ने शहीद दिवस पर महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने लोक भवन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर उन्होंने महात्मा गांधी की शिक्षाओं तथा देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को स्मरण किया।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर भारत को स्वतंत्रता दिलाई। उन्होंने कहा कि आज के समय में, जब दुनिया संघर्ष और असहिष्णुता की चुनौतियों से जूझ रही है, महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा का संदेश और भी अधिक प्रासंगिक हो गया है।

राज्यपाल ने कहा कि देश महात्मा गांधी का सदैव आभारी रहेगा, जिन्होंने विश्व के सबसे बड़े अहिंसक आंदोलनों में से एक का नेतृत्व किया और यह सिद्ध किया कि अहिंसा समाज और राजनीति में परिवर्तन लाने की एक अत्यंत प्रभावशाली शक्ति है।

उन्होंने कहा कि गांधी जी के

आदर्श भी समाज को निरंतर प्रेरणा प्रदान करते हैं तथा एक शांतिपूर्ण, न्यायपूर्ण और सौहार्दपूर्ण समाज के निर्माण का मार्गदर्शन करते हैं।

इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव सी.पी. वर्मा सहित लोक भवन के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की और उनके जीवन, आदर्शों तथा देश के लिए किए गए उनके बलिदान को श्रद्धापूर्वक स्मरण किया।

मुख्य सचिव ने जल शक्ति विभाग की कार्यशाला की अध्यक्षता की

शिमला/शैल। मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने कैपेसिटी बिल्डिंग एंड

टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन इन जल शक्ति विभार्गी विषय पर आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता की।

इस अवसर पर मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश के सभी घरों तक स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने जल शक्ति विभाग को जल जीवन मिशन के तहत भारत सरकार की आवश्यक शर्तों की शीघ्र पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस योजना से संबंधित फंड से जुड़े विषय को जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के समक्ष प्रभावी रूप से उठाया जाएगा।

मुख्य सचिव ने कहा कि तकनीक के इस युग में जल शक्ति विभाग को अपनी डिजिटल बुनियादी अधोसंरचना को और सुदृढ़ करना चाहिए। उन्होंने पेपरलेस डिजिटल कार्यशैली अपनाकर पारदर्शिता के साथ सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों के त्वरित निष्पादन के लिए विभाग को अपनी कार्यप्रणाली में आधुनिक तकनीकों का समावेश करना चाहिए।

उन्होंने ई-ऑफिस जैसी प्रणालियों को व्यापक स्तर पर अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कार्य किया जाए तथा सीएम हेल्पलाइन जैसे प्लेटफॉर्म पर प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए सचिव जल शक्ति डॉ. अभिषेक जैन ने कहा कि विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है और राज्य में ई-ऑफिस प्रणाली को सशक्त किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विभाग में कौशल विकास की दिशा में नवाचार, डिजिटल टेक्नोलॉजी एवं गवर्नेंस विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य किया जाएगा। विभागीय कार्यबल को डिजिटल तकनीकों की जानकारी प्रदान करने के लिए नियमित रूप से कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि विभाग को और मजबूत बनाने के लिए रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है।

इस अवसर पर ठेकेदारों के लंबित भुगतानों के संबंध में भी विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। कार्यशाला के दौरान डिजिटल कौशल एवं ई-ऑफिस प्रणाली पर विशेष सत्र आयोजित किए गए। विभिन्न जोनल अधिकारियों द्वारा प्रस्तुतियां भी दी गई।

कार्यशाला में इंजीनियर-इन-चीफ अंजू शर्मा, इंजीनियर-इन-चीफ परियोजना डॉ. धर्मेंद्र गिल सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

जलवायु परिवर्तन और सीबीआरएन जोखिम में बहु-क्षेत्रीय समन्वय जरूरी

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में जलवायु परिवर्तन और रासायनिक, जैविक, विकिरणीय एवं परमाणु सीबीआरएन जोखिमों से निपटने के लिए बहु-क्षेत्रीय समन्वय पर केंद्रित दो दिवसीय कार्यशाला डॉ. यशवंत सिंह परमार

औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी में शुरू हुई। इसे विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान विभाग और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सोलन के सहयोग से आयोजित किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य जलवायु-संबंधी आपदाओं और उभरते सीबीआरएन खतरों से निपटने हेतु संस्थागत तैयारियों को सुदृढ़ करना और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बढ़ाना है।

कार्यक्रम में नीति-निर्माता, प्रशासक, विशेषज्ञ, स्वास्थ्य पेशेवर और शिक्षाविद शामिल हुए। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सोलन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल जैन ने कहा कि कार्यशाला वर्तमान आपदा प्रबंधन प्रणालियों की खामियों की पहचान कर व्यावहारिक समाधान खोजने में सहायक होगी। उन्होंने सामाजिक जागरूकता बढ़ाने और विशेषज्ञों से लागू किए जा सकने वाले सुझाव देने पर जोर दिया। अनुसंधान निदेशक डॉ. देविना वैद्य ने नाजुक पारिस्थितिक तंत्र की वहन क्षमता अध्ययन और विकास तथा आपदा प्रबंधन में संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता बताई।

पर्यावरण विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. एस.के. भारद्वाज ने कहा कि कार्यशाला से भविष्य की आपदाओं से निपटने हेतु तैयारी और शमन उपायों को और मजबूत किया जाएगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, राज्य स्वास्थ्य विभाग, बार्क, टाटा ट्रस्ट्स, आपदा प्राधिकरण और विभिन्न विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। कार्यशाला में तकनीकी सत्र, व्याख्यान, पैनल चर्चा और संवाद सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें जलवायु परिवर्तन, आपदा जोखिम शासन, सीबीआरएन तैयारी और समुदाय-आधारित जोखिम न्यूनीकरण पर व्यापक विचार-विमर्श होगा।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

फायर एनओसी के कारण नहीं रुकेगा होटल व होम-स्टे नवीनीकरण:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया है कि फायर अनापत्ति प्रमाणपत्र

(एनओसी) के नाम पर होटल और होम-स्टे पंजीकरण के नवीनीकरण को नहीं रोका जाएगा। उन्होंने पर्यटन विभाग को निर्देश दिए कि जिन इकाइयों की फायर एनओसी प्रक्रिया लंबित है, उन्हें प्रोविजनल पंजीकरण दिया जाए, ताकि उनका व्यवसाय प्रभावित न हो।

मुख्यमंत्री ने यह बात होम-स्टे पंजीकरण पोर्टल http://homestay.hp.gov.in के शुभारंभ अवसर पर कही। उन्होंने कहा कि नया पोर्टल सरल और उपयोगकर्ता अनुकूल है, जिससे अब घर बैठे होम-स्टे का ऑनलाइन पंजीकरण किया जा सकेगा। सरकार पर्यटन से स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि होम-स्टे योजना के तहत अधिकतम छह कमरों तक की सुविधा का पंजीकरण किया जा सकता है। इससे पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और स्थानीय लोगों को आय के नए अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने बताया कि सरकार ने ब्याज अनुदान योजना भी शुरू की है, जिसके तहत शहरी क्षेत्रों में 3 प्रतिशत, ग्रामीण क्षेत्रों में 4 प्रतिशत और जनजातीय क्षेत्रों में 5 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान प्रदान किया जा रहा है।

बैठक में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष आर.एस. बाली वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए, जबकि मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान, प्रधान सचिव देवेश कुमार और निदेशक पर्यटन विभाग विवेक भाटिया उपस्थित रहे।

केंद्रीय बजट में हिमाचल को रेल विस्तार के लिए 2,911 करोड़ रुपये

कांग्रेस शासन की तुलना में 27 गुना अधिक राशि

शिमला/शैल। केंद्रीय बजट में हिमाचल प्रदेश को रेल विस्तार के लिए 2,911 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो पूर्व में केंद्र में रही कांग्रेस सरकार के दौरान दी गई राशि से 27 गुना अधिक है। यह जानकारी केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया से बातचीत के दौरान दी।

रेल मंत्री ने बताया कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में कुल 17,711 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न रेल परियोजनाएं प्रगति पर हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने से राज्य में रेल नेटवर्क का विस्तार होगा और यात्रियों को सुरक्षित, सुगम और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल में नई रेल लाइनों के निर्माण, मौजूदा लाइनों के सुदृढ़ीकरण, रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दे रही है।

अमृत स्टेशन योजना का उल्लेख करते हुए अश्विनी वैष्णव ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के चार रेलवे स्टेशनों को इस योजना में शामिल किया गया है, जिन पर करीब 46 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बैजनाथ-पपरोला और अंब अंदौरा रेलवे स्टेशनों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जबकि अन्य स्टेशनों पर कार्य तेजी से प्रगति पर है।

रेल मंत्री ने कहा कि यात्रियों की सुविधा और यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश में एक जोड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस भी संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश में रेल अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए निरंतर निवेश कर रही है, जिससे राज्य के आर्थिक विकास, पर्यटन और संपर्क व्यवस्था को नई गति मिलेगी।

डिब्बाबंद वस्तुओं की खरीद में मात्रा और विवरण की जांच अनिवार्य

शिमला/शैल। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने उपभोक्ताओं को चेतावनी दी है कि पैकेज्ड खाद्य तेल और अन्य तरल पदार्थ खरीदते समय डिब्बे/पैकेट पर दर्शाई गई मात्रा की जांच अनिवार्य है। अब निर्माता/पैकर किसी भी मात्रा में तेल पैक कर सकते हैं, इसलिए खरीद से पहले पैकिंग पर मुद्रित आयतन, वज़न, अधिकतम खुदरा मूल्य, निर्माता का नाम और पता, पैकिंग का माह और वर्ष, अंतिम उपयोग तिथि और उपभोक्ता शिकायत विवरण की पुष्टि करना जरूरी है।

विभाग प्रवक्ता ने कहा कि कुछ उपभोक्ता पैकेट पर मुद्रित आयतन और वज़न के अंतर को लेकर भ्रमित रहते हैं। इसलिए तेल पैक लेते समय आयतन और वज़न दोनों जांचें और वस्तु को तोलें। यदि किसी भी जानकारी में अस्पष्टता या संदेह हो, तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1800-11-4000 या 1915 या सीएम संकल्प हेल्पलाइन 1100 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

विभाग ने कहा कि सभी डिब्बाबंद वस्तुओं पर स्पष्ट, पढ़ने योग्य और आसानी से दिखाई देने वाले विवरण अनिवार्य हैं। यह कदम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और कानूनी प्रावधानों को सख्ती से लागू करने की दिशा में उठाया गया है।

शहीद दिवस पर मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी को अर्पित की श्रद्धांजलि

शिमला/शैल। शहीद दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि

पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। श्रद्धांजलि अर्पित करने के उपरांत कांग्रेस नेताओं ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का नाम बदलने तथा योजना को कमजोर किए जाने के विरोध में प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक दो घंटे का उपवास रखा।

इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने न केवल मनरेगा का नाम बदला है, बल्कि योजना के मूल स्वरूप को भी कमजोर किया है। उन्होंने कहा कि पहले यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं और महिलाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान करती थी, लेकिन अब रोजगार के अवसरों में लगातार कटौती की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले पंचायत प्रधानों को मनरेगा के तहत सड़क निर्माण सहित विभिन्न विकास कार्य करवाने के अधिकार प्राप्त थे, जिससे ग्रामीणों को अपने घर-द्वार के समीप रोजगार मिलता था। कोविड-19 महामारी के दौरान भी इस योजना ने ग्रामीण जनता को रोजगार उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने आरोप लगाया कि अब पंचायत प्रधानों की शक्तियां छीनी जा रही हैं।

सुक्खू ने कहा कि पिछले 20 वर्षों से मनरेगा अधिनियम में रोजगार की गारंटी का प्रावधान रहा है तथा काम उपलब्ध न होने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता देने का भी स्पष्ट प्रावधान है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण रोजगार गारंटी की इस योजना को सुनियोजित तरीके से कमजोर करने के विरोध में यह उपवास आयोजित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले केंद्र सरकार मनरेगा के तहत 100 प्रतिशत व्यय वहन करती थी, जबकि अब इसे 90:10 के वित्तपोषण पैटर्न में बदल दिया गया है, जिससे हिमाचल प्रदेश के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

सेब पर आयात शुल्क में कमी से जुड़े एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ हुई पिछली बैठक में न्यूजीलैंड से आयातित सेब पर शुल्क कम करने का मुद्दा उठाया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि आयात शुल्क में किसी भी प्रकार की कमी हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादकों को गंभीर नुकसान पहुंचाएगी। इस पर केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार से अधिकारियों और बागवानों की एक टीम भेजने को कहा है, जिसके बाद केंद्र सरकार इस विषय के सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार करेगी।

इस अवसर पर कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल, उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, मंत्रीगण, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार, विधायक और वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे।

हिमाचल को वैश्विक निवेश मानचित्र पर नई पहचान

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश ने वैश्विक निवेश मानचित्र पर अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम उठाया है। हिम एमएसएमई फेस्ट-2026 के दौरान BRICS Chamber of Commerce

- Industry (ब्रिक्स सीसीआई) के साथ हस्ताक्षरित प्रतिबद्धता ज्ञापन राज्य की निवेश नीति में संरचनात्मक बदलाव का संकेत देता है। किसी भी पर्वतीय राज्य के साथ ब्रिक्स सीसीआई की यह पहली औपचारिक साझेदारी हिमाचल को उभरती वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के निवेश नेटवर्क से सीधे जोड़ती है।

इस समझौते के माध्यम से हिमाचल प्रदेश को ब्रिक्स देशों और साझेदार अर्थव्यवस्थाओं के उद्योग संगठनों, संस्थागत निवेशकों और व्यापार मंचों तक संगठित पहुंच मिलने की संभावना बनी है। इससे निवेश संवाद केवल संभावनाओं तक सीमित न रहकर परियोजना-आधारित और परिणाम-उन्मुख स्वरूप ग्रहण करेगा। संयुक्त व्यापारिक कार्यक्रम, अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों का आदान-प्रदान और सेक्टर-विशेष संगोष्ठियां नीति-स्पष्टता और भरोसे का वातावरण तैयार करेंगी, जो निवेश निर्णयों के लिए निर्णायक माना जाता है।

इस साझेदारी के शुरुआती संकेत उत्साहजनक हैं। औषधि (फार्मा) क्षेत्र में 500 करोड़ रुपये से अधिक के रूसी निवेश को सुगम बनाया जाना यह दर्शाता है कि हिमाचल प्रदेश अब केवल घरेलू विनिर्माण केंद्र नहीं, बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अपनी भूमिका का विस्तार कर रहा है। पहले से मजबूत फार्मा इकोसिस्टम के साथ यह निवेश राज्य को उच्च-मूल्य और निर्यात-उन्मुख उत्पादन की दिशा में आगे बढ़ाने की क्षमता रखता है।

भारत द्वारा 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण किए जाने के अवसर पर मार्च 2026 में धर्मशाला में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन इस पहल को ठोस रूप देने का मंच बन सकता है। सह-निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और आपूर्ति-श्रृंखला सहयोग जैसे मुद्दों पर केंद्रित यह सम्मेलन निवेश प्रस्तावों को व्यवहारिक परियोजनाओं में बदलने में सहायक होगा। समग्र रूप से यह साझेदारी हिमाचल प्रदेश को पर्वतीय अर्थव्यवस्था की सीमाओं से निकालकर वैश्विक वैल्यू-चेन से जोड़ने की दिशा में एक निर्णायक कदम मानी जा रही है। विनिर्माण की दिशा में आगे बढ़ाने की क्षमता रखता है।

भारत द्वारा 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण किए जाने के अवसर पर मार्च 2026 में धर्मशाला में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन इस पहल को ठोस रूप देने का मंच बन सकता है। सम्मेलन के दौरान सह-निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, आपूर्ति-श्रृंखला सहयोग और वैश्विक बाजारों तक पहुंच जैसे विषयों पर केंद्रित संवाद निवेश को अमल में बदलने में सहायक होंगे।

फार्मा, खाद्य प्रसंस्करण, हरित परिवहन, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी और कृषि मूल्य श्रृंखलाओं जैसे प्राथमिक क्षेत्रों पर फोकस हिमाचल को कम जोखिम और दीर्घकालिक स्थिर प्रतिफल वाला निवेश गंतव्य बनाता है। समग्र रूप से यह साझेदारी हिमाचल को पर्वतीय अर्थव्यवस्था की सीमाओं से बाहर निकालकर वैश्विक वैल्यू-चेन का सक्रिय हिस्सा बनाने की दिशा में एक निर्णायक पहल के रूप में देखी जा रही है।

हमीरपुर में खुलेगा अत्याधुनिक राज्य कैंसर केयर सेंटरः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर में अत्याधुनिक राज्य कैंसर केयर सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस केंद्र में कैंसर रोगियों की समग्र देखभाल के लिए 11 विशेषज्ञ विभाग स्थापित किए जाएंगे, जिनमें मेडिकल व सर्जिकल अ न्कोल जी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन, पेन पैलिएशन, पीडियाट्रिक व गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजी सहित स्टेम सेल एवं बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कुल 264 बिस्तरों की क्षमता वाला यह केंद्र कैंसर रोगियों के लिए समर्पित होगा, जिसमें ओपीडी, क्लिनिकल लैब, फार्मेसी, इमरजेंसी, न्यूक्लियर मेडिसिन ओपीडी और पंजीकरण सेवाएं उपलब्ध होंगी। केंद्र के सुचारू संचालन के लिए पर्याप्त एवं योग्य मेडिकल, पैरामेडिकल और सहायक स्टाफ की व्यवस्था की जाएगी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में कैंसर के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्क्रीनिंग, रोकथाम और समय पर जांच की मजबूत व्यवस्था आवश्यक है। इस कैंसर केयर सेंटर की स्थापना से प्रदेशवासियों को सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण कैंसर उपचार सुनिश्चित होगा तथा स्वास्थ्य प्रणाली और अधिक सुदृढ़ होगी।

आपातकालीन सेवा ईआरएसएस-112 के औसत रिस्पॉन्स टाइम में हिमाचल पुलिस देश में प्रथम

मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए प्रदेश पुलिस को दी बधाई

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश पुलिस को पिछले 24 घंटों के दौरान आपातकालीन सेवा ईआरएसएस-112 के अंतर्गत औसत रिस्पॉन्स टाइम में पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने इसे प्रदेश पुलिस की एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि यह सफलता ईआरएसएस-112 से जुड़ी टीमों तथा प्रदेश भर के पुलिस थानों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की पेशेवर दक्षता, निष्ठा एवं उत्कृष्ट टीमवर्क का सशक्त प्रमाण है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अत्यंत चुनौतीपूर्ण पर्वतीय भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित संसाधनों के बावजूद प्रदेश पुलिस ने नागरिकों को सबसे तेज आपातकालीन सहायता प्रदान कर देशभर में हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों को त्वरित एवं प्रभावी सेवाएं उपलब्ध करवाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि भविष्य में भी 'स्पीड, सेंसिटिविटी और सर्विस' प्रदेश पुलिस का मार्गदर्शक मंत्र बना रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि केवल एक रैंकिंग नहीं है, बल्कि इस संकल्प की पुनः पुष्टि है कि जब भी हिमाचल प्रदेश का कोई नागरिक सहायता के लिए पुकारेगा, प्रदेश पुलिस देश में सबसे पहले उसके पास पहुंचेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सफलता एक संवेदनशील, उत्तरदायी और पेशेवर पुलिस बल की दूरदर्शी सोच और जनसेवा के प्रति समर्पण का प्रतिफल है।

इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने कहा कि यह उपलब्धि सिद्ध करती है कि अनुशासित कार्यप्रणाली, तकनीक के बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग तथा सशक्त फील्ड-स्तरीय पर्यवेक्षण के माध्यम से सबसे कठिन भौगोलिक चुनौतियों पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व, मार्गदर्शन और निरंतर सहयोग के बिना संभव नहीं हो पाती।

वर्ष 2026-27 के बजट के लिए सुझाव आमंत्रित

शिमला/शैल। वित्त विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का बजट तैयार करने की प्रक्रिया आरंभ हो गई है।

उन्होंने कहा कि जन-केंद्रित, सहभागितापूर्ण तथा समाज के विभिन्न हितधारकों के विचारों को प्रतिबिंबित करने वाला बजट तैयार करने के उद्देश्य से आम जनता, उद्योग, व्यापार एवं किसान संघों से वर्ष 2026-27 के बजट के लिए सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि सुझाव प्राप्त करने के लिए वित्त विभाग की वेबसाइट पर एक वेब पोर्टल आरंभ किया गया है। राज्य सरकार ने आम जनता, उद्योग, ट्रेड एवं किसान संघों, अन्य हितधारकों और संस्थानों से अपने बहुमूल्य सुझाव देने का आग्रह किया है।

उन्होंने कहा कि ये सुझाव 10 फरवरी, 2026 तक ई-मेल के माध्यम से incomeandbudget@gmail.com पर अथवा पत्र द्वारा प्रधान सचिव वित्त, हिमाचल प्रदेश सरकार, कमरा नंबर ए-216, आर्मडेल भवन, हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला को भेजे जा सकते हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि सुझाव किसी भी विषय पर दिए जा सकते हैं, जिनमें संसाधनों में वृद्धि, व्यय नियंत्रण तथा वर्ष 2026-27 के अन्य बजटीय मुद्दे शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, नए हस्तक्षेप अथवा योजनाएं जिनसे आम जनता को बेहतर सेवाएं उपलब्ध हों, गरीब एवं वंचित वर्ग लाभान्वित हों, जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो तथा स्वरोजगार एवं रोजगार सृजन के लिए नई योजनाओं एवं कार्यक्रमों से संबंधित सुझाव भी आमंत्रित हैं।

वन विभाग 2030 तक वन क्षेत्र 31 प्रतिशत करने के लिए रोडमैप तैयार करेः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वन विभाग को निर्देश दिए हैं कि वर्ष 2030 तक हिमाचल प्रदेश के वन क्षेत्र को बढ़ाकर 31 प्रतिशत करने के लिए एक समग्र और व्यवहारिक रोडमैप तैयार किया जाए। मुख्यमंत्री वन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में राज्य का वन ... जिसे योजनाबद्ध तरीके से बढ़ाने ... उन्होंने कहा कि ... गंभीर वैश्विक ... और इसके दुष्प्रभ... दे रहे हैं। इस ... पर्यावरण संरक्षण ... दे रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लगभग 16,376 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हिमाच्छादित, बंजर अथवा दुर्गम पर्वतीय है, जहां पौधारोपण संभव नहीं है। ऐसे में वन विभाग को प्रत्येक जिले में पौधारोपण के लिए उपयुक्त संभावित क्षेत्रों की पहचान कर चरणबद्ध योजना तैयार करनी चाहिए। उन्होंने देशी प्रजातियों, फलदार तथा औषधीय महत्व वाले पौधों के रोपण पर विशेष बल दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नए वन क्षेत्र के विस्तार के साथ-साथ मौजूदा वनों की सुरक्षा और संरक्षण भी अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए स्थानीय लोगों और समुदायों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई 'राजीव गांधी वन संवर्धन योजना' के तहत गत वर्ष 924.9 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण किया गया। इस अभियान में 285 महिला ...0 युवक मंडल, 59 स्वयं सहायता ...र 13 समुदाय आधारित संगठनों ...य भागीदारी निभाई। योजना के ... सरकार दो हेक्टेयर क्षेत्र में ...ण के लिए 2.40 लाख रुपये ...तीय सहायता तथा पौधों की ...ल दर के आधार पर वार्षिक ... राशि प्रदान कर रही है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि आगामी वित्तीय वर्ष में 5,000 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, इनमें से 3,376 हेक्टेयर क्षेत्र की पहचान कर ली गई है, जबकि शेष 1,624 हेक्टेयर क्षेत्र की पहचान की प्रक्रिया प्रगति पर है। उन्होंने वन विभाग द्वारा संचालित अन्य योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव के.के. पंत, पीसीसीएफ (हॉफ) संजय सूद सहित वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

शांति मानव जाति का सबसे शक्तिशाली हथियार है

......महात्मा गांधी

सम्पादकीय

यूजीसी नियमों पर उठे विरोध के परिणाम दूरगामी होंगे

क्या देश में फिर से मण्डल बनाम कमण्डल का खेल खेला जाने की तैयारी हो रही है? यह सवाल यूजीसी द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों में बढ़ते जातिगत उत्पीड़न को रोकने के लिये लाये गये नये नियमों के विरोध में उठते रोष की पराकाष्ठा को देखते हुये एक बड़ा सवाल बनकर सामने आया है। देश के उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत उत्पीड़न के मामलों में यूजीसी के अपने मुताबिक ही 2019 - 20 से 2023 - 24 तक 118 प्रतिशत की बढ़ौतरी हुई है। इस बढ़ौतरी का अर्थ है कि अब तक जो नियम और प्रावधान इस उत्पीड़न को रोकने के लिये बनाये गये थे उनके वांछित परिणाम नहीं आये हैं। इसलिये नये नियमों की आवश्यकता मानी गयी है। यह आवश्यकता रोहित वेमुला और पायल तड़वी के प्रकरणों के बाद एकदम अनिवार्य हो गयी थी। क्योंकि रोहित वेमुला और पायल तड़वी की माताएं अपने बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिये अदालत तक पहुंची और यह मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया। सर्वोच्च न्यायालय की उसी पीठ के सामने यह मामला आया था जिसने अब इन नियमों पर रोक लगाई है। जब यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहली बार सामने आया था तब सर्वोच्च न्यायालय ने जातिगत उत्पीड़न को लेकर बनाये गये नियमों को नाकाफी करार देकर तुरन्त प्रभाव से नये नियम बनाने के लिये कहा था। सर्वोच्च न्यायालय के ही निर्देश पर यह नये नियम लाये गये थे और अब जब नियमों पर स्वर्ण जातियों ने विरोध का स्वर उठाया तब सर्वोच्च न्यायालय ने इन नियमों पर तुरन्त प्रभाव से रोक लगा दी। इस रोक पर जिस तरह की प्रतिक्रियाएं कुछ भाजपा नेताओं की आयी हैं उससे और कई शंकाएं उभर आयी हैं क्योंकि केन्द्र सरकार ने सर्वोच्च अदालत में अपने ही बनाये नियमों के पक्ष में कुछ नहीं कहा है। इसी से सरकार की नीयत और नीति पर सवाल उठ रहे हैं। भाजपा संघ परिवार की एक राजनीतिक इकाई है। यह एक स्थापित सच है। संघ देश में हिन्दू राष्ट्र स्थापित करना चाहता है और इसका हर प्रयास इस दिशा में उठा एक कदम है। यदि किसी कारण से संघ को अपने इस उद्देश्य को छोड़ना पड़े तो संघ में ही सबसे बड़ा विरोध और विद्रोह देखने को मिलेगा। संघ भाजपा के रिश्तों का आकलन इसी तथ्य से किया जा सकता है कि भाजपा में संगठन मंत्री का पद हर स्तर पर संघ के ही प्रतिनिधि को सौंपा जाता है। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसलिये देश के ढांचे में कोई भी बदलाव सविधान को बदले बिना नहीं हो सकता और संविधान को संसद के रास्ते सरकार के माध्यम से ही बदला जा सकता है। 2024 से आज 2026 तक सरकार को जब भी मौका मिला है उसने संविधान को बदलने के लिये कदम उठाये हैं। लेकिन आज केन्द्र की मोदी नीत भाजपा सरकार जिस तरह अपना आधार लगातार खोती जा रही है उसमें भाजपा संघ की कठिनाइयां भी बढ़ती जा रही है। क्योंकि 2024 से लेकर आज तक सरकार के मंत्रालय और उसकी विभिन्न योजनाओं की जो रिपोर्ट संसद के पटल पर आयी है उनसे सरकार की परफॉरमैन्स और नीयत पर सवाल गहराते जा रहे हैं। क्योंकि सरकार का चुनाव जीतने का सच वोट चोरी के तथ्यात्मक प्रमाणों के बाद प्रश्नित हो गया है। सरकार की यह स्थिति कहीं नई पीढ़ी में चर्चा का विषय न बन जाये यह सबसे बड़ा सवाल इस समय बन चुका है। नई जनरेशन को इस सवाल पर अपना ध्यान केंद्रित करने से रोकने के लिये ही मण्डल बनाम कमण्डल पहले खड़ा हुआ था और आज उसी तर्ज पर यूजीसी के नियमों पर विमर्श खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। स्मरणीय है जब ओबीसी को 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया था तब उसका विरोध करने के लिये इस आरक्षण के विरोध में आन्दोलन खड़ा किया गया था इस विरोध में तब आत्मदाह तक हुये थे। इस परिदृश्य में यूजीसी नियमों पर उठे विरोध के परिणाम दूरगामी होंगे।

आस्था व विश्वास को यदि हथियार बना देंगे तो धर्म का क्या होगा?

गौतम चौधरी

अभी हाल ही में बांग्लादेश में एक नये प्रकार के कथित लोकतंत्र समर्थित आन्दोलन में ऐसा बहुत कुछ हुआ जो समझ से पड़े है। उसमें से एक घटना कथित तौर पर ईशनिन्दा का भी सामने आया है। मसलन ईशनिंदा के आरोप में एक हिंदू मज़दूर को भीड़ ने पीट - पीट कर हत्या कर दी। सच पूछिए तो यह लिंचिंग केवल एक मानव जीवन की क्षति नहीं है, इससे पूरी मानवता शर्मसार हुई है। यह एक सभ्य समाज के नैतिक विवेक के क्षरण का संकेत है। इसी से मिलती - जुलती तो नहीं लेकिन कुछ ऐसी ही घटना उत्तर प्रदेश की है। यहां एक पिता द्वारा कथित रूप से अपनी पत्नी और दो छोटी बेटियों की हत्या की कर दी गयी। यह खबर इसलिए बेहद खास हो जाती है कि एक मुसलमान ने अपनी बेटी और पत्नी की हत्या महज इसलिए कर दी कि वह तीनों बुर्क़ा पहनने से परहेज कर रही थी। इस प्रकार के कृत्य को आप क्या कहेंगे? शब्दों में इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। तीन जिंदगियां - एक स्त्री और उसके बच्चे, किसी नियति या दुर्घटना से नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के हाथों खत्म हो गयी, जिसने नियंत्रण को आस्था और क्रूरता को सम्मान समझ लिया। इस कृत्य की भयावहता निर्विवाद है, लेकिन उतना ही विचलित करने वाला यह है कि ऐसे मामलों को कितनी जल्दी धार्मिक विफलता के रूप में पेश कर दिया जाता है, जबकि सच्चाई यह है कि ये अपराध पितृसत्ता, असुरक्षा और अनियंत्रित घरेलू हिंसा से जन्म लेते हैं।

यह दोनों घटनाएं दो देशों की है लेकिन बहुत हद तक इसमें समानता है। दोनों स्थानों पर आस्था को ठेस पहुचाने की बात कही गयी और अंततोगत्वा एक अपराध ने जन्म लिया, जिसे एक सभ्य समाज कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। चलिये इन कृत्यों को या ऐसा कहे कुकृत्यों को इस्लामिक धार्मिक नजरिए से पड़ताल करते हैं। मुस्लिम स्कॉलर मुफ्ती तुफैल खान साहब कहते हैं, ''कुरान की कोई आयत, पैग़म्बर की कोई शिक्षा, या इस्लामी सिद्धांत किसी पुरुष को यह अधिकार नहीं देता कि वह हिंसा के ज़रिये किसी महिला के विवेक पर पहरा लगाये। उसे और उसके बच्चों की हत्या करना तो दूर की बात है। इस्लाम में बुर्का, हिजाब या किसी भी प्रकार का सादा पहनावा व्यक्तिगत आस्था की अभिव्यक्ति है, प्रभुत्व थोपने का हथियार नहीं। जब कपड़े ज़बरदस्ती का औज़ार बन जाते हैं, तो वे धार्मिक नहीं रहते, राजनीतिक, बल्कि आपराधिक हो जाते हैं।''

पुलिस जांच के अनुसार, उत्तर प्रदेश वाले मामले में आरोपी को कथित रूप से पत्नी के बिना बुर्क़ा बाहर निकलने पर आपत्ति थी और उसने इसे ''इज्जत'' का मामला माना। लेकिन भय पर टिकी इज़्ज़त, इज़्ज़त नहीं होती, वह नैतिकता का मुखौटा ओढ़ी हुई तानाशाही होती है। पैग़म्बर मुहम्मद ने अपने घर में कभी हिंसा के ज़रिये आस्था लागू नहीं की। क़ुरान बार - बार करुणा, सहमति और जवाबदेही की बात करता है, महिलाओं के शरीर या उनके चुनावों पर स्वामित्व की नहीं।

बांग्लादेश में इस्लाम के अपमान के एक अप्रमाणित आरोप के बाद हुई यह घटना एक बार फिर भारतीय उपमहाद्वीप को एक असहज सच्चाई का सामना करने को मजबूर कर दिया है। ईशनिंदा के आरोपों का बढ़ते हुए हिंसा को वैध ठहराने, न्याय को दरकिनार करने और कमजोर वर्गों को चुप कराने के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसे कृत्य अक्सर धर्म के नाम पर किए गए लेकिन वे स्वयं इस्लाम की मूल शिक्षाओं के विपरीत हैं।

दक्षिण एशिया में, विशेषकर बांग्लादेश और पाकिस्तान में, ईशनिंदा के आरोप एक खतरनाक सामाजिक हथियार बन चुके हैं। अफ़वाहें तेज़ी से फैलती हैं, भावनाएं भड़काई जाती हैं और भीड़ स्वयं पुलिस, न्यायाधीश, जूरी और जल्लाद की भूमिका निभाने लगती है। तथ्य सत्यापित होने या सुरक्षा उपलब्ध कराए जाने से पहले ही घंटों में परिवार तबाह कर दिए जाते हैं। अल्पसंख्यकों, असहमत लोगों या सामाजिक रूप से कमजोरों के लिए मात्र आरोप ही मौत का फरमान बन जाता है।

तुफैन साहब कहते हैं कि ''लोकप्रिय धारणा के विपरीत, कुरान ईशनिंदा के लिए किसी सांसारिक दंड का प्रावधान नहीं करता। सदियों से अनेक प्रतिष्ठित विद्वानों ने इस बात पर ज़ोर दिया है। क़ुरान स्वीकार करता है कि आस्थावान लोगों को अपमान और उपहास सहना पड़ेगा'', ''तुम अवश्य ही उन लोगों से बहुत सी तकलीफ़देह बातें सुनोगे जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई और बहुदेववादियों से भी, पर यदि तुम धैर्य रखो और ईश्वर का ध्यान रखो, तो यह बड़े संकल्प की बात है'' (कुरान 3:186)। एक अन्य आयत मुसलमानों को हिंसक प्रतिशोध के बजाय अलग हो जाने का निर्देश देती है, 'और जब तुम सुनो कि ईश्वर की आयतों का इनकार किया जा रहा है और उनका मज़ाक़ उड़ाया जा रहा है, तो उनके साथ मत बैठो जब तक वे विषय न बदल लें'' (कुरान 4:140)। उल्लेखनीय है कि अपमान या उपहास से संबंधित किसी भी क़ुरानी आयत में इस प्रकार की हिंसा का कोई विधान ही नहीं है।

पैग़म्बर मुहम्मद का जीवन मुसलमानों के लिए सबसे प्रामाणिक मार्गदर्शक है। शास्त्रीय इतिहासकारों ने ऐसे अनेक प्रसंग दर्ज किए हैं जब पैग़म्बर का व्यक्तिगत रूप से अपमान, उपहास और अपमानित किया गया। ताइफ़ में उन पर पत्थर फेंके गए, यहां तक कि वे लहूलुहान हो गये। जब दैवी प्रतिशोध का विकल्प दिया गया, तो उन्होंने इनकार किया और अपने हमलावरों के लिए दुआ की। इस्लाम के महान धर्मशास्त्री इमाम अल - ग़ज़ाली ने ज़ोर दिया कि व्यक्तिगत अपमान निजी प्रतिशोध को उचित नहीं ठहराते और नैतिक संयम एक उच्च इस्लामी गुण है। इसी तरह, कठोरपंथियों द्वारा उद्धृत किए जाने वाले इब्न तैमिय्या ने एक महत्वपूर्ण भेद स्पष्ट किया, जहां ईशनिंदा पर दंड मान्य भी माना गया, वह राज्य का विषय था, न्यायिक अधिकार, विधिसम्मत प्रक्रिया और स्पष्ट प्रमाण के साथ, न कि भीड़ की कारवाई के द्वारा न्याय। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कई मामलों में पश्चाताप दंड को निष्प्रभावी कर सकता है।

इस मामले में क़ुरान कहता है, ''किसी समुदाय के प्रति द्वेष तुम्हें अन्याय करने पर न उकसाए। न्याय करो, यही धर्मपरायणता के अधिक निकट है'' (क़ुरान 5:8)। पैग़म्बर ने सामूहिक दंड और भावनात्मक निर्णयों के विरुद्ध चेतावनी देते हुए कहा, ''संदेह से बचो, क्योंकि संदेह सबसे झूठी बात है'' (बुख़ारी)। बिना मुक़दमे लिंचिंग, सार्वजनिक अपमान और हत्या न्याय, दया और जीवन की पवित्रता (हुरमत - अन - नफ़्स) जैसे इस्लामी मूल सिद्धांतों का उल्लंघन हैं। उपमहाद्वीप में ईशनिंदा क़ानूनों का दुरुपयोग इस्लामी शिक्षा का प्रतिबिंब नहीं, बल्कि सामाजिक असुरक्षा, राजनीतिक हेरफेर और धार्मिक अशिक्षा का परिणाम है। धर्म की रक्षा के लिए लोगों की हत्या आवश्यक नहीं;आवश्यक है न्याय, सत्य और करुणा की स्थापना। जो समाज भीड़ को अपराध तय करने देता है, वह कानून और धर्म दोनों को त्याग देता है।

उत्तर प्रदेश के मामले में भी कुछ बातें इस्लामिक सिद्धांत के अनुसार समझने कोशिश की जा सकती है। मुस्लिम महिलाओं को अक्सर एक असंभव स्थिति में डाल दिया जाता है। जब हम ऐसे अपराधों के ख़िलाफ़ बोलती हैं, तो कहा जाता है कि हम 'घर की गंदगी बाहर फैला रहे हैं।' जब ऐसी घटनाएं होती हैं, तो किसी तरह स्पष्टीकरण का बोझ भी महिलाओं पर ही डाल दिया जाता है। यह अपराध है और इसे इस्लाम से कोई लेना - देना नहीं है। यह एक प्रकार की पुरुष मानसिकता है, जो आस्था के नाम पर स्त्रियों पर अत्याचार का हथियार धर्म में ढूंढ लेता है। यह उस समाज के बारे में है जो घरेलू नियंत्रण के मामलों में समय रहते हस्तक्षेप करने में अब भी विफल रहता है। यह इस बारे में है कि महिलाओं की स्वायत्तता वे क्या पहनें, कहां जाएं, कैसे जिएं, अब भी घर की चार दीवारों के भीतर सौदेबाज़ी का विषय माना जाता है। इस त्रासदी को और असहनीय बनाता है यह तथ्य कि दो नन्ही बच्चियों की भी हत्या कर दी गई, जिनकी किसी वयस्क की विकृत ''इज़्ज़त'' की परिभाषा में कोई आवाज़ नहीं थी। उनकी मौतें याद दिलाती हैं कि पितृसत्ता महिलाओं पर ही नहीं रुकती, आस्था के नाम वह पूरे परिवार को गुलाम बना देती है।

धर्म, आस्था, मान्यता और विश्वास आदि मानव सभ्यता के विकास का अहम क्रम है। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। वैज्ञानिक कसौटी पर भी यह खड़ा उतरता है लेकिन जब यही एक के खिलाफ दूसरे के लिए हथियार बन जाए, राजनीति का औजान बन जाए और व्यापार के रूप में परिनत होने लगे तो सावधान हो जाना चाहिए। इसी प्रकार की नासमझ सोच ने समय - समय पर मानव सभ्यता को क्षति भी पहुंचाई है। इस मामले में सकारात्मक सोच की जरूरत है और धर्मशास्त्र की सहज समयानुकूल व्याख्या की भी जरुरत है। इस प्रकार के चरमपंथी विचार किसी के लिए भी हानिकारक है, चाहे वे अपने ही क्यों न हों।

केंद्रीय बजट 2026–27: समावेशी, सतत और संतुलित आर्थिक विकास हेतु नीतिगत रूपरेखा

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 ऐसे समय में आया है जब भारत एक ओर वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं, भू-राजनीतिक तनावों और आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है, वहीं दूसरी ओर विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। यह बजट कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट है, जो अपने आप में एक प्रतीकात्मक महत्व रखता है। वित्त मंत्री ने इसे तीन मूल कर्तव्यों से प्रेरित बताया है। आर्थिक वृद्धि को तेज करना और बनाए रखना, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए उनकी क्षमताओं का निर्माण करना तथा सबका साथ, सबका विकास के विज़न को साकार करना। इस दृष्टि से बजट 2026-27 को युवा शक्ति संचालित, समावेशी और भविष्य उन्मुख बजट के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें गरीब, शोषित और वंचित समुदायों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है।

बजट का केंद्रीय संदेश यह है कि भारत को वैश्विक बाजारों के साथ और अधिक मजबूती से एकीकृत होना होगा, निर्यात को बढ़ाना होगा और दीर्घकालिक, स्थिर निवेश को आकर्षित करना होगा। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में यह स्वीकार किया कि वैश्विक स्तर पर बहुपक्षवाद कमजोर हुआ है, व्यापार बाधाएं बढ़ी हैं और संसाधनों व आपूर्ति श्रृंखलाओं तक पहुंच में कठिनाइयां आई हैं। इसके साथ ही नई प्रौद्योगिकियां उत्पादन प्रणालियों को तेजी से बदल रही हैं और जल, ऊर्जा तथा महत्वपूर्ण खनिजों की मांग निरंतर बढ़ रही है। ऐसे परिवेश में यह बजट भारत की आर्थिक सहनशीलता को मजबूत करने और विकास की गति बनाए रखने का प्रयास करता है।

राजकोषीय मोर्चे पर बजट 2026-27 में संतुलन और अनुशासन दोनों दिखाई देते हैं। कुल व्यय का अनुमान 53.5 लाख करोड़ रुपये रखा गया है, जबकि गैर-ऋण प्राप्तियां 36.5 लाख करोड़ रुपये अनुमानित हैं। केंद्र की निवल कर प्राप्तियां 28.7 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। सरकार ने राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.3 प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है, जो 2025-26 के संशोधित अनुमान 4.4 प्रतिशत से थोड़ा कम है। ऋण-से-जीडीपी अनुपात को भी 56.1 प्रतिशत से घटाकर 55.6 प्रतिशत तक लाने का अनुमान है। यह संकेत देता है कि सरकार विकास को प्राथमिकता देते हुए भी राजकोषीय समेकन के मार्ग से विचलित नहीं होना चाहती।

विकास को गति देने के लिए सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को एक बार फिर प्रमुख साधन के रूप में इस्तेमाल किया गया है। वित्त वर्ष 2014-15 में जहां पूंजीगत व्यय लगभग 2 लाख करोड़ रुपये था, वहीं इसे लगातार बढ़ाते हुए 2025-26 में 11.2 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाया गया। बजट 2026-27 में इसे और बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है। यह निवेश बुनियादी ढांचे, परिवहन, शहरी विकास और औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करेगा, साथ ही रोजगार सृजन में भी अहम भूमिका निभाएगा।

पर्यावरणीय दृष्टि से सतत परिवहन को बढ़ावा देने के लिए बजट में सात उच्च गति रेल गलियारों की घोषणा की गई है, जिन्हें 'विकास परिवहन संपर्क' के रूप में विकसित किया जाएगा। ये गलियारे मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी को जोड़ेंगे। इसके अतिरिक्त, कार्गो की पर्यावरण अनुकूल आवाजाही के लिए नए समर्पित फेट कॉरिडोर और अगले पांच वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्गों के संचालन की योजना बनाई गई है। इससे लॉजिस्टिक्स लागत कम होने, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा बढ़ने और क्षेत्रीय संतुलन को बल मिलने की उम्मीद है।

उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र को सशक्त करने के लिए बजट में कई संरचनात्मक पहलें की गई हैं। एमएसएमई को भारत के विकास इंजन के रूप में मान्यता देते हुए 10,000 करोड़ रुपये के एसएमई विकास निधि का प्रस्ताव किया गया है, जिसका उद्देश्य भविष्य के चैंपियन उद्यमों को तैयार करना है। वस्त्र क्षेत्र, जो श्रम-प्रधान होने के कारण रोजगार सृजन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसके लिए एकीकृत कार्यक्रम की घोषणा की गई है, जिसमें प्राकृतिक फाइबर, मानव निर्मित फाइबर, पारंपरिक क्लस्टरों का आधुनिकीकरण, हथकरघा एवं हस्तशिल्प का सशक्तिकरण और कौशल विकास शामिल हैं।

स्वास्थ्य और फार्मा क्षेत्र में भारत को वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से 'बायोफॉर्मा शक्ति' मिशन की घोषणा की गई है, जिसके लिए 10,000 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है। यह मिशन अगले पांच वर्षों में बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स के घरेलू उत्पादन के लिए एक मजबूत इको-सिस्टम तैयार करेगा। इसके तहत नए राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों की स्थापना, मौजूदा संस्थानों का उन्नयन और 1000 मान्यता प्राप्त क्लिनिकल ट्रायल साइट्स का नेटवर्क विकसित किया जाएगा। इससे न केवल स्वास्थ्य क्षेत्र को बल मिलेगा, बल्कि उच्च कौशल रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।

कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए बजट में तकनीक आधारित समाधान प्रस्तुत किए गए हैं। बहुभाषी एआई उपकरण 'भारत-विस्तार' को एग्रीस्टैक और आईसीएआर पैकेज के साथ एकीकृत किया जाएगा, जिससे किसानों को फसल, मौसम, बाजार और जोखिम प्रबंधन से जुड़ी सटीक जानकारी मिल सकेगी। लखपति दीदी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सामुदायिक स्वामित्व वाले खुदरा आउटलेट के रूप में 'शी-मार्ट' स्थापित करने का प्रस्ताव है, जो महिला स्वयं सहायता समूहों की आय और बाजार पहुंच बढ़ाएगा।

शिक्षा, कौशल और मानव संसाधन विकास बजट का दूसरा प्रमुख स्तंभ है। उच्च शिक्षा और एसटीईएम संस्थानों में छात्राओं के सामने आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक जिले में लड़कियों के लिए छात्रावास निर्माण का प्रस्ताव किया गया है। एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स जैसे उभरते क्षेत्रों में भविष्य की मांग को देखते हुए 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में एवीजीसी कंटेंट निर्माण लैब स्थापित की जाएंगी। पर्यटन क्षेत्र में 20 प्रमुख स्थलों पर 10,000 गाइडों के कौशल उन्नयन के लिए आईआईएम की साझेदारी में प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।

खेल क्षेत्र को अगले दशक में परिवर्तित करने के उद्देश्य से खेलो इंडिया मिशन की घोषणा की गई है, जिसमें प्रतिभा विकास, कोचिंग, खेल विज्ञान, अवसंरचना और प्रतियोगिताओं को एकीकृत दृष्टिकोण से विकसित किया जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में निमहांस-2 की स्थापना और रांची तथा तेजपुर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के उन्नयन की घोषणा सामाजिक सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

कर सुधारों के मोर्चे पर बजट 2026-27 एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हो सकता है। नया आयकर अधिनियम 2025 अप्रैल 2026 से लागू होगा, जिसके तहत आयकर नियमों और प्रपत्रों को सरल और नागरिक अनुकूल बनाया जाएगा। टीडीएस और टीसीएस दरों में कटौती, दंड और अभियोजन प्रक्रियाओं का युक्तिकरण और छोटे करदाताओं के लिए अनुपालन को आसान बनाने के उपाय प्रस्तावित किए गए हैं। विदेशी यात्रा पैकेज पर टीसीएस को घटाकर 2 प्रतिशत करना और आईटी क्षेत्र के लिए सेफ हार्बर सीमा को 2000 करोड़ रुपये तक बढ़ाना निवेश और उपभोग दोनों को प्रोत्साहित करेगा। विदेशी क्लाउड सेवा प्रदाताओं को 2047 तक कर रियायत देने का प्रस्ताव भारत को वैश्विक डिजिटल हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा सकता है।

कुल मिलाकर, केंद्रीय बजट 2026-27 को एक ऐसे दस्तावेज के रूप में देखा जा सकता है जो आर्थिक वृद्धि, सामाजिक समावेशन, तकनीकी नवाचार और राजकोषीय अनुशासन के बीच संतुलन साधने का प्रयास करता है। यह बजट न केवल वर्तमान चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करता है, बल्कि भारत की दीर्घकालिक विकास यात्रा के लिए एक मजबूत आधार भी तैयार करता है। इसकी वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि घोषित योजनाओं और सुधारों को कितनी प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है और उनका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक कितनी तेजी से पहुंच पाता है।

सस्ती तकनीक और हर नागरिक तक पहुंच: AI में आत्मनिर्भर भारत की तैयारी

सुशील पाल
संयुक्त सचिव
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई आज की सबसे ताकतवर और तेजी से बदलने वाली तकनीक में से एक बनती जा रही है। इसमें यह क्षमता है कि यह देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे, उत्पादन बढ़ाए और विकास की रफ्तार तेज करे।

सरकारी सेवाओं को ज्यादा प्रभावी और पारदर्शी बनाने में भी एआई अहम भूमिका निभा सकती है। स्वास्थ्य क्षेत्र में बीमारी की शुरुआती पहचान, खेती में सही समय पर सही फैसले लेने, आपदा से पहले चेतावनी देने, मौसम और जलवायु का बेहतर अनुमान लगाने और सरकारी योजनाओं का लाभ आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने में एआई पहले से ही मदद कर रही है। आने वाले समय में शिक्षा, परिवहन और उद्योग जैसे क्षेत्रों में भी एआई का इस्तेमाल तेजी से बढ़ने की संभावना है। लेकिन जैसे पहले की तकनीकी क्रांतियों में हुआ, वैसे ही एआई के साथ भी असमानता की तस्वीर सामने आती है। जिनके पास कंप्यूटर की ताकत यानी कंप्यूट, अच्छा डेटा और मजबूत डिजिटल ढांचा है, वही बड़े स्तर पर एआई का लाभ उठा पा रहे हैं। जिनके पास ये सुविधाएं नहीं हैं, वे पीछे रह जाते हैं। यह फर्क आज केवल कंपनियों के बीच ही नहीं, बल्कि देशों और इलाकों के बीच भी साफ दिखाई देता है।

भारत ने इस चुनौती को एक अवसर के रूप में लिया है। इंडिया एआई मिशन के जरिए भारत यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि एआई की ताकत कुछ गिने-चुने लोगों तक सीमित न रहे। कंप्यूट, डेटा और एआई मॉडल को डिजिटल सार्वजनिक सुविधा के रूप में देखा जा रहा है, ताकि स्टार्टअप, शोधकर्ता, छात्र और छोटे संस्थान भी एआई पर काम कर सकें। भारत की सोच साफ है- ऐसा डिजिटल ढांचा बनाया जाए जो खुला हो, आसानी से बढ़ सके और समाज के हर वर्ग के काम आए। इससे एआई का लाभ आम लोगों तक पहुंचे, देश में ही नवाचार को बढ़ावा मिले और तकनीक के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन सके।

इस सोच के पीछे एक ठोस योजना है। दावोस में हुए विश्व आर्थिक मंच में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारत एआई को पांच स्तरों पर विकसित कर रहा है- बिजली और ऊर्जा, कंप्यूट और इंफ्रास्ट्रक्चर, चिप और हार्डवेयर, एआई मॉडल और एप्लिकेशन। इन सभी पर एक साथ काम होने से ही एआई का सही और व्यापक उपयोग संभव हो पाएगा।

भारत का तरीका इसलिए अलग है क्योंकि यहां एआई तक पहुंच आसान बनाई गई है। भारत ने एक साझा कंप्यूट प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जहां 38,000 जीपीयू एक ही पोर्टल पर मिलते हैं। इनका खर्च करीब 65 रुपये प्रति घंटा है, जबकि दूसरे देशों में इसके लिए 2.5 से 3 डॉलर प्रति घंटा तक देने पड़ते हैं। इंडिया एआई मिशन के तहत सरकार एआई मॉडल बनाने के लिए पूरी लागत (100%) तक मदद दे रही है और एआई के इस्तेमाल पर भी 40 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है। इससे पैसे की कमी एआई पर काम करने में रुकावट नहीं बनती। इसी वजह से सरवम एआई, सोकेट एआई और ज्ञानि एआई जैसे भारतीय स्टार्टअप अब बिना बड़ी पूंजी लगाए अपने खुद के एआई और भाषा मॉडल बना पा रहे हैं, जो पहले सिर्फ बड़ी विदेशी कंपनियां ही कर पाती थीं।

भारत का लक्ष्य सिर्फ एआई का इस्तेमाल करना नहीं, बल्कि अपना एआई बनाना है। भारत अपना खुद का एआई मॉडल तैयार कर रहा है, जो भारतीय भाषाओं, भारतीय संस्कृति और भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। इसे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट (16-20 फरवरी 2026) में पेश किए जाने की उम्मीद है। यह मॉडल भारत के ही डेटा पर प्रशिक्षित होगा और देश के भीतर ही काम करेगा। इससे एआई ज्यादा सटीक, निष्पक्ष और सबको साथ लेकर चलने वाला बनेगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित होगा कि डेटा सुरक्षित रहे और एआई का इस्तेमाल देश के कानूनों और नागरिकों के अधिकारों के अनुसार हो।

इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में एआई को लेकर केवल जोखिमों की चर्चा नहीं होगी, बल्कि यह देखा जाएगा कि एआई जमीन पर क्या बदलाव ला रही है। इसमें एआई को सबके लिए उपलब्ध कराने, विकास में इसके उपयोग, पर्यावरण की रक्षा, भरोसेमंद सिस्टम, भारतीय भाषाओं में एआई, ग्लोबल साउथ की भागीदारी और एआई से जुड़ी असमानताओं को कम करने जैसे मुद्दों पर विचार किया जाएगा।

भारत का यह तरीका उन देशों के लिए भी एक उदाहरण है, जो अभी विकास के रास्ते पर हैं। यह दिखाता है कि खुलेपन और नवाचार के साथ-साथ अपनी तकनीकी स्वतंत्रता कैसे बनाए रखी जा सकती है। भारत अपने एआई मॉडल ओपन-सोर्स के रूप में विकसित कर रहा है, ताकि दूसरे देश भी अपनी जरूरतों के अनुसार इन्हें अपना सकें। मकसद है मिलकर आगे बढ़ना, बिना किसी नई निर्भरता के।

आज जब एआई देश की ताकत और अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा बन चुकी है, सवाल यह नहीं रह गया है कि एआई अपनाया जाए या नहीं, बल्कि यह है कि इसे समझदारी, जिम्मेदारी और टिकाऊ तरीके से कैसे अपनाया जाए।

सड़क अवसंरचना को लेकर मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से भेंट की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट की। बैठक

में प्रदेश में सड़क अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण को लेकर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से सड़कों एवं पुलों की मरम्मत तथा रख-रखाव के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करने का आग्रह किया।

केंद्रीय मंत्री ने सीआरआईएफ के अंतर्गत छैला-नेरीपुल-यशवंत नगर-ओच्छघाट सड़क के लिए सैद्धांतिक रूप से 200 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की। इस परियोजना से प्रदेश के सेब उत्पादकों को व्यापक लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने शिमला मटौर राष्ट्रीय राजमार्ग की प्रगति से केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया। यह राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य की राजधानी को आठ जिलों सहित पड़ोसी राज्यों से जोड़ता है। उन्होंने क्षेत्र की पर्वतीय भौगोलिक परिस्थितियों और भू-वैज्ञानिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए शिमला से शालाघाट तथा भगेड़ से हमीरपुर तक अधिक से अधिक सुरंगों के निर्माण का आग्रह किया।

इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने पैकेज-4 के अंतर्गत फोरलेन निर्माण के लिए डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध किया। इस पैकेज में चीलबाहल स्थित हमीरपुर बाईपास के छोर से भंगबार तक का खंड तथा नया उत्तरी हमीरपुर बाईपास शामिल है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि गत मानसून के दौरान चीलबाहल से पक्का भरोह खंड में विभिन्न स्थानों पर भारी क्षति हुई है तथा पिछले पांच से छह वर्षों से इस सड़क का सुदृढ़ीकरण नहीं किया गया। यह सड़क कई प्रमुख धार्मिक स्थलों तक पहुंच के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने एनएच-03 के चीलबाहल से पक्का भरोह खंड को विकास एवं रख-रखाव कार्यों के लिए हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग एनएच विंग को सौंपने के निर्देश जारी करने का अनुरोध किया। साथ ही, उन्होंने इस खंड के लिए एनएचएआई द्वारा 38.37 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान करने का भी आग्रह किया।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने उक्त राशि को मंजूरी प्रदान करते हुए राज्य सरकार को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री ने शिमला हवाई अड्डे के संचालन समय विस्तार की उठाई मांग

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापु से भेंट की।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए केंद्र सरकार से सहयोग एवं इस परियोजना हेतु विशेष केंद्रीय सहायता अनुदान प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने भूमि से जुड़े मामलों के शीघ्र निपटारे पर बल देते हुए कहा कि कांगड़ा जिला में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं तथा राज्य सरकार पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं क्रियान्वित कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कम दृश्यता की स्थिति में भी उड़ानों के संचालन को सुनिश्चित करने के लिए विशेष विजुअल फ्लाइट रूल्स लागू करने का अनुरोध किया, ताकि न्यूनतम श्यता मापदंड को वर्तमान 5 किलोमीटर से घटाकर 2.5 किलोमीटर किया जा सके।

उन्होंने कम उड़ान संचालन और सीमित यात्रियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए कुल्लू और शिमला हवाई अड्डों की सुरक्षा व्यवस्था सीआईएसएफ के स्थान पर राज्य पुलिस को सौंपने का सुझाव भी दिया, जिससे राज्य पर वित्तीय बोझ कम किया जा सके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने शिमला हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन का समय बढ़ाकर सायं 4 बजे तक करने का आग्रह किया, ताकि उड़ानों की संख्या में वृद्धि हो सके।

मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ शिमला तथा शिमला चंडीगढ़ के बीच उड़ानों की आवृत्ति बढ़ाने और प्रस्तावित चार हेलीपोर्ट्स को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का भी अनुरोध किया।

केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ने अधिकारियों को कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए संबंधित विभागों के साथ संयुक्त बैठक कर डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए तथा राज्य सरकार को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री ने राज्य के वन एवं ट्री कवर की मान्यता का मुद्दा उठाया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से भेंट की।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को राज्य के वास्तविक ट्री कवर 29.5 प्रतिशत और आधिकारिक रूप से दर्ज 27.99 प्रतिशत वन एवं ट्री कवर के बीच पाई गई विसंगति से अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि यह अंतर वनों के बाहर स्थित पेड़ों ट्रीज आउटसाइट फोरेस्ट को समेकित गणना में शामिल न किए जाने के कारण उत्पन्न हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने निजी भूमि पर विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत वृक्षों के कटान को लेकर कड़े नियम लागू किए हैं, इसके बावजूद इस संरक्षणात्मक प्रयास के लिए केंद्र सरकार से राज्य को अपेक्षित प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा है।

उन्होंने 1.5 प्रतिशत ट्रीज आउटसाइट फोरेस्ट घटक को हरित आवरण में शामिल करने पर बल देते हुए कहा कि इससे हिमाचल प्रदेश के वास्तविक पारिस्थितिक एवं वानिकी योगदान को उचित मान्यता मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वनों के बाहर स्थित पेड़ हरित आवरण के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा हिमालयी क्षेत्र की संवेदनशील पारिस्थितिकी को

क्षरण से बचाने में सहायक हैं।

मुख्यमंत्री ने आग्रह किया कि वित्त आयोग अथवा केंद्र सरकार द्वारा की जाने वाली सभी प्रकार की आवंटन गणनाओं में हिमाचल प्रदेश के लिए 29.5 प्रतिशत वन एवं ट्री कवर को मान्यता दी जाए। उन्होंने अनुरोध किया कि 1.5 प्रतिशत ट्रीज आउटसाइट फोरेस्ट को पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण, संवर्धन तथा पर्यावरणीय शासन में एक वैध और नीतिगत रूप से महत्वपूर्ण योगदान के रूप में स्वीकार किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रीज आउटसाइट फोरेस्ट घटक के कम आकलन से राष्ट्रीय पारिस्थितिकी सेवाओं में हिमाचल प्रदेश के वास्तविक योगदान को कमतर आंका जाता है, जिससे उन राज्यों के प्रति पक्षपात की स्थिति उत्पन्न होती है जो वनों के संरक्षण को प्राथमिकता प्रदान कर रहे हैं।

उन्होंने गैर-वन एवं निजी भूमि पर वन तथा हरित आवरण बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की भी जानकारी केंद्रीय मंत्री को दी।

इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने राज्य सरकार को हर संभव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया।

16वें वित्त आयोग से हिमाचल को हर वर्ष 10 हजार करोड़ का नुकसान: मुकेश अग्निहोत्री

शिमला/शैल। उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्रीय बजट

2026-27 और 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इन फैसलों के चलते हिमाचल प्रदेश को हर वर्ष लगभग 10 हजार करोड़ रुपये का सीधा वित्तीय नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने इसे प्रदेश की वित्तीय संरचना को कमजोर करने वाला गंभीर और दीर्घकालिक संकट करार देते हुए कहा कि यह स्थिति हिमाचल के लिए किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है।

उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी व्यवस्था पहले ही हिमाचल जैसे पर्वतीय और सीमित संसाधनों वाले राज्य के लिए नुकसानदेह साबित हो चुकी है। जीएसटी क्षतिपूर्ति समाप्त होने से प्रदेश को पहले बड़ा आर्थिक झटका लगा और अब राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) को पूरी तरह समाप्त कर केंद्र सरकार ने दोहरा आघात दिया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय प्रदेश की वित्तीय स्थिरता और विकास क्षमता पर सीधा प्रहार है।

उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश का कुल बजट लगभग 58 हजार करोड़ रुपये का है, जिसमें राजस्व व्यय का बड़ा हिस्सा वेतन, पेंशन और अन्य अनिवार्य मदों पर खर्च होता है। ऐसी स्थिति में केंद्रीय सहायता में भारी कटौती से विकास कार्यों, आधारभूत ढांचे और जनकल्याणकारी योजनाओं पर प्रतिकूल असर पड़ना तय है। उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में प्रदेश को लगभग 38 हजार करोड़ रुपये राजस्व घाटा अनुदान के रूप में मिले थे और मौजूदा परिस्थितियों में यह सहायता बढ़ने की अपेक्षा थी, लेकिन इसके विपरीत इसे समाप्त कर दिया गया।

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश का गठन ही विशेष भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया गया था और उसी समय यह राष्ट्रीय सहमति बनी थी कि केंद्र सरकार राज्य को विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र पर निर्भरता कोई कमजोरी नहीं, बल्कि संवैधानिक दायित्व का हिस्सा है। आरडीजी समाप्त करना नीतिगत अन्याय और संघीय ढांचे की भावना के विपरीत है।

उप-मुख्यमंत्री ने भाजपा के सातों सांसदों और नेता प्रतिपक्ष से सवाल किया कि वे इस गंभीर मुद्दे पर मौन क्यों हैं और स्पष्ट करें कि वे केंद्र के फैसलों के साथ हैं या हिमाचल प्रदेश के हितों के साथ। उन्होंने कहा कि 10 हजार करोड़ रुपये के वार्षिक नुकसान जैसे गंभीर मुद्दे पर चुप रहना प्रदेश के साथ विश्वासघात है, जिसे जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी।

एससी आयोग ने जिलों से प्राप्त मामलों की कारवाई रिपोर्ट्स की समीक्षा की

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के समक्ष प्रदेश के विभिन्न जिलों से प्राप्त अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित शिकायतों पर जिला प्रशासनों द्वारा की गई कारवाई की रिपोर्ट्स की आयोजित बैठक में समीक्षा की गई।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार

धीमान ने बताया कि आयोग को विभिन्न जिलों से मामलों के निपटारे से संबंधित जवाबी पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनका गहन अवलोकन किया गया। उन्होंने कहा कि आयोग यह सुनिश्चित कर रहा है कि अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़े मामलों में प्रशासन द्वारा समयबद्ध, निष्पक्ष और प्रभावी कारवाई की जाए।

अध्यक्ष ने बताया कि हाल ही में अधिवक्ता शालिनी द्वारा आयोग की सदस्य के रूप में कार्यभार ग्रहण करने से आयोग की सदस्य संख्या पूर्ण हो गई है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया। उन्होंने जानकारी दी कि आयोग में पहले से अधिवक्ता विजय डोगरा और अधिवक्ता दिग्विजय मल्होत्रा सदस्य के रूप में कार्यरत हैं।

बैठक में फरवरी माह में प्रस्तावित आयोग की आगामी बैठक की रूपरेखा भी तय की गई, जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग से जुड़े मामलों की कड़ी निगरानी एवं त्वरित कारवाई पर चर्चा की जाएगी।

इस अवसर पर आयोग की सदस्य अधिवक्ता शालिनी द्वारा कांगड़ा जिला के देहरा उपमंडल के गांव कलरू तथा कांगड़ा उपमंडल के रिहाला गांव की अनुसूचित जाति बस्ती में लंबे समय से चले आ रहे रास्ते के विवाद को स्थानीय लोगों एवं अधिकारियों की उपस्थिति में सुलझाए जाने की रिपोर्ट भी आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई।

बैठक के दौरान भीम आर्मी भारत एकता मिशन के प्रवक्त दिलेराम ने आयोग के अध्यक्ष को ज्ञापन भी सौंपा।

इस मौके पर आयोग के सदस्य अधिवक्ता विजय डोगरा, अधिवक्ता दिग्विजय मल्होत्रा तथा सदस्य सचिव विनय मोदी भी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने बीपीएल सर्वेक्षण के चौथे चरण को 1 फरवरी से शुरू करने के दिए निर्देश

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों की पहचान के लिए सर्वेक्षण का चौथा चरण 1 फरवरी, 2026 से शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि हर पात्र गरीब परिवार को बीपीएल सूची में शामिल किया जाए, ताकि वे विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें।

यह सर्वेक्षण पांच चरणों में किया जा रहा है, जिससे कोई भी जरूरतमंद परिवार वंचित न रहे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि सर्वेक्षण के पहले तीन चरणों में प्रदेश भर में 59,829 परिवारों को बीपीएल सूची में शामिल किया गया है। इनमें बिलासपुर में 2,204, चंबा में 13,786, हमीरपुर में 3,480, कांगड़ा में 10,807, किन्नौर में 1,109, कुल्लू में 2,957, लाहौल-स्पीति में 206, मंडी में 12,045, शिमला में 4,522, सिरमौर में 1,277, सोलन में 1,567 तथा ऊना में 5,869 परिवार शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बीपीएल सूची में शामिल करने के लिए स्पष्ट पात्रता मापदंड निर्धारित किए गए हैं। इनमें 27 वर्ष तक के अनाथ बच्चे, 59 वर्ष से अधिक आयु के सदस्य, 27 से 59 वर्ष की आयु के दिव्यांग सदस्य, महिला मुखिया वाले परिवार जिनमें कोई वयस्क पुरुष सदस्य न हो, तथा 50 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले मुखिया वाले परिवार शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त मनरेगा के तहत पिछले वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन कार्य करने वाले परिवारों, गंभीर बीमारियों से पीड़ित कमाने वाले सदस्य वाले परिवारों तथा राज्य या केंद्र सरकार की आवास योजनाओं से सहायता प्राप्त पक्के मकान वाले परिवारों को भी बीपीएल सूची में शामिल किया जाएगा।

बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, विधायक चंद्रशेखर, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, सचिव अमरजीत सिंह, निदेशक राकेश प्रजापति सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने डीडीटीएंडजी को राष्ट्रीय सम्मान पर दी शुभकामनाएं

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड गवर्नेंस (डीडीटीएंडजी) विभाग को नई दिल्ली में आयोजित छठे गवर्नेंस नाउ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन समिट एंड अवॉर्ड्स में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किए जाने पर शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की प्रमुख नवाचार पहल 'हिम परिवार' को शासन को सुदृढ़ करने और जनसेवा वितरण में सुधार के लिए डिजिटल तकनीकों के नवोन्मेषी उपयोग हेतु सराहा गया है।

यह पुरस्कार शिखर सम्मेलन के दौरान प्रदान किया गया था, जिसे मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवीनीकरण एवं गवर्नेंस) गोकुल बुटेल ने औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री को सौंपा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 'हिम परिवार' पहल के माध्यम से परिवार-आधारित, नागरिक-केंद्रित व्यापक डेटाबेस तैयार किया गया है, जिससे लाभार्थियों की सटीक पहचान सुनिश्चित हुई है और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लक्षित वर्गों तक प्रभावी ढंग से पहुंच रहा है। उन्होंने इसे पारदर्शी, तकनीक-आधारित और नागरिक-केंद्रित शासन के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया।

मुख्यमंत्री ने डिजिटल पब्लिक अधोसंरचना को मजबूत करने और नागरिकों के लिए उपयोगी डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने में विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए आशा व्यक्त की कि भविष्य में भी विभाग इसी समर्पण के साथ डिजिटल गवर्नेंस पहलों को और सुदृढ़ करेगा।

ग्राम उत्थान और किसान हितैषी हैं राज्य सरकार की नीतियां: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। हिमकॉन के प्रबंध निदेशक एवं अध्यक्ष विकेश चौहान ने रामपुर विधानसभा क्षेत्र के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू से भेंट की तथा उन्हें यह महत्वपूर्ण दायित्व सौंपे जाने के लिए आभार व्यक्त किया। चौहान ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि वे पार्टी हाईकमान की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली बार रामपुर क्षेत्र से किसी व्यक्ति को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल के तीन वर्ष पूर्ण कर लिए हैं और सरकार समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की लगभग 90 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की नीतियां एवं कार्यक्रम किसान-केंद्रित बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है, इसलिए सरकार किसानों के आर्थिक उत्थान को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने ऐतिहासिक पहल करते हुए दूध तथा प्राकृतिक खेती से उत्पादित कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी निर्धारित किया है। उन्होंने बताया कि सरकार प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों से गेहूं 60 रुपये प्रति किलोग्राम, मक्का 40 रुपये प्रति किलोग्राम और कच्ची हल्दी 90 रुपये प्रति किलोग्राम के समर्थन मूल्य पर खरीद कर रही है।

इसके अतिरिक्त, उन्होंने कहा कि गाय का दूध 51 रुपये प्रति लीटर तथा भैंस का दूध 61 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदा जा रहा है। साथ ही, दो किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित खरीद केंद्रों तक स्वयं दूध पहुंचाने वाले किसानों को 2 रुपये प्रति लीटर की परिवहन सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है।

दिल्ली-शिमला-धर्मशाला उड़ानों के सुचारू संचालन के लिए राज्य सरकार करेगी 31 करोड़ रुपये वार्षिक सहायता

शिमला/शैल। राज्य सरकार ने दिल्ली-शिमला और शिमला-धर्मशाला हवाई मार्गो पर नियमित उड़ानों के संचालन का निर्णय लिया है। इन उड़ानों का सप्ताह में नियमित संचालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार हर साल 31 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में यह कदम पर्यटन क्षेत्र को सुदृढ़ करने, युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने तथा राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि नियमित हवाई सेवाओं से यात्रा का समय घटेगा, पर्यटकों, व्यापारियों और आम जनता के लिए सुगम आवागमन सुनिश्चित होगा और प्रशासनिक कार्यप्रणाली मजबूत होगी। साथ ही, त्वरित मेडिकल इवैक्यूएशन, आपात स्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं के समय समय पर प्रतिक्रिया देने में भी मदद मिलेगी। सब्सिडी आधारित क्षेत्रीय हवाई संपर्क से दैनिक यात्री, व्यापारिक यात्री और पर्यटक समान रूप से लाभान्वित होंगे।

राज्य में वर्तमान में तीन संचालित हवाई अड्डों के अलावा कई हेलीपैड हैं, और प्रत्येक जिला मुख्यालय तथा प्रमुख पर्यटन स्थलों पर हेलीपोर्ट का निर्माण जारी है। हाल ही में संजौली हेलीपोर्ट से चंडीगढ़ और रिकांगपियो के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू की गई हैं।इसके अतिरिक्त संजौली-रामपुर-रिकांगपियो और संजौली-मनाली सासे हेलीपैड मार्गों पर भी शीघ्र ही हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू की जाएंगी। इन हवाई मार्गो के लिए नागर विमानन महानिदेशालय DGCA से मानक संचालन प्रक्रिया की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं। यह कदम राज्य में पर्यटन और आर्थिक विकास को दीर्घकालिक रूप से गति देने में रणनीतिक साबित होगा

भारी बर्फबारी के बावजूद प्रदेश सरकार निर्बाध खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है:डॉ.एस.पी. कत्याल

शिमला/शैल। राज्य खाद्यान्न आयोग के अध्यक्ष डॉ. एस.पी. कत्याल

ने कहा कि प्रदेश सरकार भारी बर्फबारी के बावजूद सभी लाभार्थियों को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है।

उन्होंने बताया कि बर्फबारी के कारण कुछ क्षेत्रों में बिजली एवं इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से प्रभावित हुई हैं, जिससे उचित मूल्य की दुकानों में पॉइंट ऑफ सेल पीओएस मशीनों के संचालन में कठिनाइयां आई हैं। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार, राज्य खाद्यान्न आयोग और जिला प्रशासन ने समन्वय के साथ समय रहते आवश्यक कदम उठाए हैं, ताकि किसी भी लाभार्थी को राशन से वंचित न किया जाए।

डॉ. कत्याल ने कहा कि प्रदेश की सभी उचित मूल्य दुकानों में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध है, जिनमें जनजातीय एवं बर्फ से ढके क्षेत्र भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि जनजातीय क्षेत्रों में लाभार्थियों को मार्च माह तक का राशन अग्रिम रूप से उपलब्ध करवा दिया गया है।

उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में मासिक आधार पर राशन वितरित किया जाता है और जहां बर्फबारी के कारण वितरण प्रभावित हुआ है, वहां बैकलॉग वितरण विकल्प लागू करने की सिफारिश की गई है। इससे बिजली एवं इंटरनेट सेवाएं बहाल होते ही राशन वितरण सुचारू रूप से पुनः आरंभ किया जा सकेगा।

डॉ. कत्याल ने बताया कि सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे प्रभावित क्षेत्रों की तत्काल पहचान कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें, विशेषकर उन क्षेत्रों की जहां बिजली एवं इंटरनेट सेवाएं बाधित हैं। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि आवश्यकता पड़ने पर बैकलॉग वितरण विकल्प तुरंत लागू किया जाए, ताकि लाभार्थियों को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध हो सके।

उन्होंने कहा कि राज्य खाद्यान्न आयोग स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय कर प्रत्येक समस्या का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है।

सीपीआरआई शिमला में वैज्ञानिकों के लिए 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

शिमला/शैल। केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई), शिमला द्वारा 02 से 11 फरवरी 2026 तक वैज्ञानिकों के लिए 10 दिवसीय शॉर्ट कोर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण 'कन्वेंशनल एंड मॉलिक्यूलर टूल्स फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट, प्रोटेक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स' विषय पर आधारित होगा, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से 25 प्रशिक्षु भाग लेंगे।

संस्थान के निदेशक एवं कार्यक्रम संरक्षक डॉ. ब्रजेश सिंह ने बताया कि सीपीआरआई में आणविक जीव विज्ञान, जीनोमिक्स, जीनोम संपादन, पादप ऊतक संवर्धन, जर्मप्लाज्म, रोग विज्ञान तथा एलसीएमएस/एम एस और एचपीएलसी जैसी अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनके माध्यम से प्रतिभागियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।

कोर्स डायरेक्टर डॉ. शैलेज सूद ने बताया कि प्रशिक्षण का उद्देश्य बागवानी विज्ञान में पारंपरिक एवं आधुनिक आणविक तकनीकों के समन्वय से वैज्ञानिक दक्षता बढ़ाना है, जिसमें विशेष रूप से आलू फसल पर फोकस रहेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के कोर्स कोऑर्डिनेटर ड . विकास मंगल, डॉ. पिनबीयांगलांग खारमुनिउड़, डॉ. कैलाश नागा एवं डॉ. धर्मेन्द्र कुमार हैं।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट पर प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही राज्य सरकार

16वें वित्त आयोग में हिमाचल को 2,388 करोड़ रूपये का फायदा

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (RDG) को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच छिड़ी बहस अब केवल अनुदानों के आंकड़ों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह वित्तीय अनुशासन, संघीय ढांचे

और राजनीतिक जवाबदेही से जुड़ा एक बड़ा विमर्श बन गई है। मुख्यमंत्री द्वारा 16वें वित्त आयोग (FC-16) के निर्णय को ‘‘अन्यायपूर्ण’’ बताने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने तथ्यात्मक प्रस्तुति के माध्यम से राज्य सरकार के दावों को चुनौती दी है। इस पूरे विवाद को समझने के लिए राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से ऊपर उठकर वित्त आयोग की भूमिका और हिमाचल की वास्तविक वित्तीय स्थिति का विश्लेषण आवश्यक है।

सबसे पहले यह स्पष्ट करना जरूरी है कि RDG कोई स्थायी वित्तीय अधिकार नहीं रहा है। इसका उद्देश्य राज्यों को अस्थायी राहत देकर उन्हें राजस्व घाटे से उबारना था। 14वें वित्त आयोग के बाद 15वें वित्त आयोग ने कोविड-19 जैसी असाधारण परिस्थितियों में RDG को फ्रंट-लोडेड किया, ताकि राज्यों को तत्काल वित्तीय सहारा मिल सके। आयोग की मंशा स्पष्ट थी कि 2025-26 तक राज्यों को लगभग शून्य राजस्व घाटे की स्थिति तक लाना। ऐसे में RDG को दीर्घकालिक व्यवस्था के रूप में देखना वित्त आयोग की मूल भावना के विपरीत माना गया।

16वें वित्त आयोग ने जब राज्यों के वित्तीय प्रदर्शन की समीक्षा की, तो यह निष्कर्ष निकाला कि बड़े पैमाने पर RDG मिलने के बावजूद कई राज्यों में न तो कर-संग्रह में अपेक्षित सुधार हुआ और न ही व्यय संरचना में अनुशासन आया। हिमाचल प्रदेश भी इस श्रेणी में आता है, जहां राजस्व व्यय लगातार ऊंचा बना रहा और राजस्व घाटा समाप्त नहीं हो सका। इसी पृष्ठभूमि में FC-16 ने सामान्य RDG को जारी रखना प्रतिकूल माना, क्योंकि इससे संरचनात्मक सुधारों का दबाव कम होने की आशंका थी।

अनुराग सिंह ठाकुर का मुख्य तर्क यह है कि RDG बंद होने को ‘केंद्र की कटौती’ के रूप में प्रस्तुत करना भ्रामक है, क्योंकि 16वें वित्त आयोग के तहत हिमाचल के कर- डेवोल्यूशन में वास्तविक वृद्धि हुई है। आंकड़ों के अनुसार, विभाज्य पूल में हिमाचल का हिस्सा 15वें वित्त आयोग के 0.830 प्रतिशत से बढ़कर 0.914 प्रतिशत हो गया है। इसके परिणामस्वरूप 2025-26 के बजट अनुमान में राज्य को मिलने वाली पोस्ट-डेवोल्यूशन राशि लगभग 11,561 करोड़ रूपये से बढ़कर 13,949 करोड़ रूपये हो गई, यानी करीब 2,388 करोड़ रूपये की शुद्ध बढ़ौतरी। यह तथ्य इस दावे को कमजोर करता है कि केंद्र ने हिमाचल की आर्थिक मदद में कमी की है।

हालांकि, यह भी सच है कि हिमाचल की वित्तीय चुनौतियां केवल अनुदानों के घटने-बढ़ने से हल नहीं होने वाली हैं। राज्य का स्वयं का कर प्रयास GSDP के अनुपात में अपेक्षाकृत कम है। वर्ष 2023-24 में यह लगभग 5.6 प्रतिशत रहा, जबकि उत्तराखंड जैसे तुलनीय राज्य में यह आंकड़ा 6 प्रतिशत से अधिक था। इसी तरह हिमाचल का कुल राजस्व व्यय GSDP के लगभग 21 प्रतिशत तक पहुंच चुका है, जो उच्च वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान जैसी प्रतिबद्ध देनदारियों को दर्शाता है।

राजकोषीय और राजस्व घाटे की स्थिति भी चिंता का विषय है। हिमाचल का राजकोषीय घाटा GSDP के लगभग 5.3 प्रतिशत तक पहुंच चुका है, जबकि उत्तराखंड जैसे राज्य इस मोर्चे पर बेहतर स्थिति में हैं। इसके साथ ही राज्य पर ऋण बोझ भी बढ़ता जा रहा है, जिससे पूंजीगत व्यय के लिए वित्तीय स्थान सीमित होता जा रहा है। ऐसे में वित्त आयोग का यह निष्कर्ष कि लगातार RDG देना दीर्घकालिक समाधान नहीं है, पूरी तरह असंगत नहीं कहा जा सकता।

राजनीतिक दृष्टि से कांग्रेस सरकार RDG के मुद्दे को संघीय अन्याय और केंद्र की उपेक्षा के रूप में प्रस्तुत कर रही है, जबकि भाजपा इसे राज्य सरकार की वित्तीय नीतियों की विफलता से ध्यान हटाने का प्रयास मानती है। वास्तविकता संभवत: इन दोनों ध्रुवों के बीच स्थित है। RDG के समाप्त होने से अल्पकाल में राज्य की नकदी स्थिति पर दबाव बढ़ सकता है, लेकिन दीर्घकाल में बढ़ा हुआ कर-डेवोल्यूशन और लक्षित वित्तीय उपकरण राज्यों को अधिक आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रेरित कर सकते हैं।

RDG पर चल रही इस बहस को केवल राजनीतिक चश्मे से देखना हिमाचल के हित में नहीं होगा। 16वें वित्त आयोग का निर्णय एक व्यापक नीति बदलाव का संकेत है, जिसका उद्देश्य अस्थायी राहत से आगे बढ़कर संरचनात्मक सुधारों को प्रोत्साहित करना है। हिमाचल प्रदेश के लिए असली चुनौती यह है कि वह अपने कर प्रयासों को मजबूत करे, व्यय संरचना को तर्कसंगत बनाए और पूंजीगत निवेश को प्राथमिकता दे। राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से परे, यही रास्ता राज्य को दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता और सतत विकास की ओर ले जा सकता है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में भारत का आत्मविश्वासी भविष्य : डॉ. सिकंदर कुमार

शिमला/शैल। भाजपा के राज्यसभा सांसद एवं प्रदेश महामंत्री डॉ. सिकंदर कुमार ने भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 को भारत की

आर्थिक मजबूती, स्थिरता और वैश्विक नेतृत्व का स्पष्ट प्रमाण बताया। उन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया भू-राजनीतिक तनाव, वित्तीय अस्थिरता और व्यापारिक चुनौतियों का सामना कर रही है, भारत ने लगातार चौथे वर्ष दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी है। वित्त वर्ष 2025-26 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है और वर्ष 2026-27 में यह 6.8 से 7.2 प्रतिशत के बीच रहने की संभावना है, जो दीर्घकालिक संरचनात्मक मजबूती और स्थायी विकास की ओर इशारा करता है।

डॉ. सिकंदर कुमार ने कहा कि मुद्रास्फीति केवल 1.7 प्रतिशत रही, जिससे आम नागरिकों की क्रय शक्ति मजबूत हुई और आर्थिक स्थिरता बनी। राजकोषीय घाटा 4.4 प्रतिशत तक घटा और कर संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। बैंकिंग क्षेत्र अब ऐतिहासिक रूप से मजबूत स्थिति में है, सकल एनपीए 2.2 प्रतिशत और शुद्ध एनपीए 0.5 प्रतिशत पर आ गया। बैंक ऋण वृद्धि 14.5 प्रतिशत रही, जिससे उद्योग, व्यापार और आम नागरिकों को आर्थिक गतिविधियों में सहायता मिली।

सेवा क्षेत्र सकल मूल्य वर्धन का 56.4 प्रतिशत बन गया और विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि 9.13 प्रतिशत रही। कृषि क्षेत्र में बागवानी उत्पादन पहली बार खाद्यान्न उत्पादन से अधिक हुआ, महिला श्रम भागीदारी 41.7 प्रतिशत तक पहुंची और बेरोजगारी दर घटकर 4.8 प्रतिशत रही। बुनियादी ढांचे में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क 60 प्रतिशत बढ़ा, एयरपोर्ट्स की संख्या 74 से 164 और अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत हो गई।

डॉ. कुमार ने कहा कि यह सर्वेक्षण स्पष्ट करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से विकसित भारत की ओर अग्रसर है। अब चुनौती इन उपलब्धियों को समावेशी, टिकाऊ और समान विकास में बदलने की है ताकि हर भारतीय इसका लाभ उठा सके।

केंद्रीय बजट हिमाचल

...पृष्ठ 1 का शेष

के लिए केंद्र ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार भले ही पूंजी निवेश की बात करे, लेकिन पहाड़ी राज्यों के लिए आपदा प्रबंधन, सड़क-रेल कनेक्टिविटी, जलविद्युत, पर्यटन और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए कोई ठोस सहायता नहीं दिखाई देती। केंद्रीय बजट 2026-27 न तो हिमाचल को विकास का स्पष्ट मार्ग देता है और न ही न्याय की भावना को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश और उसके लोगों के हितों के लिए इस अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज मजबूती से उठाती रहेगी।